समाहरणालय, मधेपुरा।
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

मौलाना महमूद रहमानी पे0 स्व0 अहमद हुसैन, ग्राम +पो0 पुरैनी, थाना श्रीनगर(कुमारखंड), जिला मधेपुरा ने लिखित रूप में आवेदन देकर सूचित किया है कि इनके नाम से दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-04/1982(कुमारखंड थाना) पर धारित शस्त्र सं0-5144बी./02 निर्गत है। इन्होंने अंकित किया है कि जानकारी नहीं होने के कारण निर्धारित तिथि को अपने शस्त्रों का सत्यापन एव नवीकरण नहीं करवाया जा सका है। इन्होंने विहित प्रपत्र में बायोडाटा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त कर नवीकरण कराये जाने अपेक्षा की है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा बिहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 का तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः दिनांक 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद भी मौलाना महमूद रहमानी(अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं कराए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 157/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 की नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-04/1982(कुमारखंड थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाव आवेदन प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा अधूरा है। बायोडाटा में अपना उम्र 76 वर्ष से अधिक अंकित किए हैं। उक्त प्रपत्र पर चिपकाए गए फोटो से ही स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी काफी बुजुर्ग हो गए हैं। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा उक्त शस्त्र का रख-रखाव किया जाना असंभव प्रतीत होता है एवं दुरूपयोग किए जाने की पूर्ण संभावना है। कई बार भौतिक सत्यापन हेतु तिथि निर्धारण किए जाने के वावजूद भी अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं करायें हैं। इनके द्वारा समर्पित जवाव आवेदन तथ्यहीन, भ्रामक है, जो अनुज्ञप्ति शर्त्तो को पूरा नहीं करता है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-04/1982 (कुमारखंड थाना) को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी मौलाना महमूद रहमानी पे0 स्व0 अहमद हुसैन, सा0+पो0-पुरैनी, थाना श्रीनगर(कुमारखंड), जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं उस पर धारित शस्त्र सं0-5144बी./02 को कुमारखंड थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा को पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री रहमानी द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं मूल अनुज्ञप्ति पंजी पर " रद्द " प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्टांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 118 /शस्त्र, दिनांक 24-3-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, कुमारखंड/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मौलाना महमूद रहमानी पे0 स्व0 अहमद हुसैन, सा0+पो0-पुरैनी, थाना श्रीनगर(कुमारखंड), जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

24/03/14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।